


भाग - II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या

| | | |
|--------|--|---|
| 7 | परियोजना/स्कीम का स्थान | |
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र :- | उ० प्र० राज्य |
| (ii) | जिला :- | वाराणसी |
| (iii) | वन प्रभाग:- | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग वाराणसी |
| (iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 0.6615 हेक्टेयर |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति:- | आरक्षित वन |
| (vi) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए। | रिक्त (संलग्नक -4) |
| (vii) | हरियाली का घनत्व | 0.4 |
| (viii) | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है। |
| (ix) | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा | वाराणसी-देवां-फतेहपुर मार्ग के किनारे बबुरीगांव आरक्षित वन भूमि से अनुमानित दूरी पर संरक्षित वन घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि आरक्षित वन क्षेत्र है। |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुर्वाधत की जाए) | नहीं |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिक की दुर्लभ/ रिकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित व्यौरा दें? | नहीं |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं |
| 8 | उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा। | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | आरक्षित वन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |
| (iii) | रॉपट की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है। |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7, 8, व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्नक करें) | संलग्नक है |
| 12 | विभाग/ जिला प्रोफाइल | |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 4402.00 वर्ग किमी. |
| (ii) | जिले का वन क्षेत्र | 84.75 वर्ग किमी. |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र | 32 मामले, क्षेत्रफल 190.0430614 हे० |
| (iv) | 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | 380.0861228 हे० |
| | (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि | रिक्त |
| | (ख) वनेतर भूमि पर | रिक्त |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति | |
| | (क) वन भूमि पर | 380.0861228 हे० |
| | (ख) वनेतर भूमि पर | रिक्त |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम आरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्यों के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति न्यूनतम है। |

दिनांक:
स्थान:

हस्ताक्षर
सरकारी मोहर


प्रभागीय निदेशक
वा० वा० वन प्रभाग
वाराणसी